

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 478 / 2006

संस्थापन दिनांक 14.07.2003

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

1—नरेशसिंह पुत्र जीवाराम गुर्जर उम्र 20 साल निवासी  
ग्राम आलौरी थाना गोहद

2—बंटी उर्फ कीरतराम पुत्र सूबेदार गुर्जर उम्र 18 साल  
निवासी हट्टपुरा थाना सुमावली जिला मुरैना हाल  
ग्राम आलौरी थाना गोहद जिला भिण्ड.....**फरार**

— अभियुक्तगण

निर्णय

( आज दिनांक.....को घोषित )

1. प्रकरण में आरोपी बंटी उर्फ कीरतराम दिनांक 16.11.10 से फरार है अतः यह निर्णय मात्र आरोपी नरेश के संबंध में पारित किया जा रहा है।
2. उपरोक्त अभियुक्त नरेश को राजीनामा के आधार पर धारा 506बी, 323/34 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया है शेष विचारणीय धारा 440 भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 14.04.2003 को करीब 01:00 बजे मौजा आलौरी अंतर्गत थाना गोहद में कलावती अ0सा02 एवं धर्मसिंह अ0सा03 को मृत्यु या उपहति कारित करने की तैयारी के पश्चात 10—15 हजार रुपये की रिष्टि कारित की।
3. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 14.04.03 दोपहर एक बजे आरोपीगण नरेश व बंटी धर्मसिंह की कछवारी में तार फेंसिंग से बकरियों को घुसा दिया तब धर्मसिंह ने बकरी चरते हुए देखकर खेत में जाकर बकरियों को भगा दिया जैसे ही बकरियां भाग गयी तो नरेश व बंटी ने धर्मसिंह के एक—एक लाठी मारी उसका छोटा भाई रामसिंह दौड़कर धर्मसिंह अ0सा03 के विरुद्ध हुई घटना की जानकारी देने घर गया और मां कलावती अ0सा02 को

बुलाकर लाया। बाबूसिंह अ0सा01 भिण्ड गया हुआ था कलावती के आने पर आरोपीगण ने कलावती को चप्पलें मारी और जाते समय दोनों आरोपीगण ने कहा कि अब बकरियां चराने से रोका तो जान से खतम कर देंगे। बच्चूसिंह ने आकर बीच बचाव किया। रात के 9 बजे बाबूसिंह अ0सा01 घर आया जिसे कलावती अ0सा02 ने घटना के बारे में जानकारी दी जिसने रिपोर्ट की। तत्पश्चात फरियादी बाबूसिंह अ0सा01 की रिपोर्ट पर से थाना गोहद में अप0क0 95/03 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी-1 दर्ज कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरान्त आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

4. आरोपी नरेश ने आरोपित आरोप को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपी की प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।
5. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि क्या आरोपी नरेश ने दिनांक 14.04.2003 को करीब 01:00 बजे मौजा आलौरी अंतर्गत थाना गोहद में कलावती अ0सा02 एवं धर्मसिंह अ0सा03 को मृत्यु या उपहति कारित करने की तैयारी के पश्चात 10-15 हजार रुपये की रिष्टि कारित की ?

// विचारणीय प्रश्न का सकारण निष्कर्ष //

6. बाबूसिंह अ0सा01 ने कथन किया है कि 10-15 साल आरोपीगण से मुंहवाद हुआ था पुरानी रंजिश पर झगड़ा हो गया था इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। वह पढ़ा लिखा नहीं है केवल हस्ताक्षर करना जानता है। वह थाने पर शिकायत करने गया था। रिपोर्ट प्र0पी-1 के ए से ए भाग पर व नक्शामौका प्र0पी-2 व नुकसानी पंचनामा प्र0पी-3 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस मौके पर नहीं आई और न ही उसके सामने कोई लिखापढ़ी की अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि आरोपीगण ने उसकी फसल में बकरियां चरा दी थीं।
7. साक्षी कलावती अ0सा02 ने भी कथन किया है कि 10-15 साल पहले आरोपीगण से बकरियों को लेकर विवाद हो गया था जिसने उसके लड़कों से झमाझटकी की थी जिसकी रिपोर्ट बाबूसिंह अ0सा01 ने की थी। उसे व धर्मसिंह अ0सा03 को गिरने से चोटें आई थीं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि आरोपी नरेश ने उसकी कछवारी के अंदर बकरियां घुसा दी थीं। इस सुझाव से भी इंकार किया है कि आरोपी ने उसकी और धर्मसिंह की लाठी चप्पलों से मारपीट की थी। और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी-5 में भी दिए जाने से इंकार किया है।
8. साक्षी धर्मसिंह अ0सा02 ने कथन किया है कि 10-15 साल पहले आरोपीगण से बकरी चराने को लेकर विवाद हुआ था। उसकी और उसकी मां के साथ झूमाझटकी की थी। उसे व उसकी मां को गिरने से चोटें आई थीं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि नरेश ने उसकी कछवारी में बकरियां घुसा दी थीं। इस सुझाव से भी इंकार किया है कि आरोपीगण ने उसकी व उसकी मां की लाठी

व चप्पलों से मारपीट की थी। और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी-6 में भी दिए जाने से इंकार किया है।

9. अतः आहत धर्मसिंह अ0सा03, कलावती अ0सा02 व फरियादी बाबूसिंह अ0सा01 ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है। उक्त तीनों ही साक्षीगण ने स्पष्ट इंकार किया है कि आरोपी ने उसकी कछवारी में बकरियां घुसाई थीं। अतः रिष्टि का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है जिसके परिणामस्वरूप उपहति कारित करने की तैयारी के पश्चात रिष्टि कारित करने का तथ्य भी प्रमाणित नहीं होता है। अतः अभियोजन अपना मामला सिद्ध करने में असफल रहता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी नरेश ने दिनांक 14.04.2003 को करीब 01:00 बजे मौजा आलौरी अंतर्गत थाना गोहद में कलावती अ0सा02 एवं धर्मसिंह अ0सा03 को मृत्यु या उपहति कारित करने की तैयारी के पश्चात 10-15 हजार रुपये की रिष्टि कारित की।
10. परिणामतः आरोपी नरेश को धारा 440 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
11. आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0